कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कु.स./नि.स./2025–26/2015 दिनांक 16/09/2025

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय मुख्यालय हेतु मासिक तथा दैनिक आधार पर किराये पर वाहन (ड्राइवर सहित) प्रदाय करने हेतु इच्छुक वाहन प्रदायकर्ता/ ट्रेवल कम्पनियों आदि से निविदा निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र रु. 1000 का भुगतान करके विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय से कार्यालयीन समय में दिनांक 29.09.2025 तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ प्रत्येक निविदाकर्ता को द्वारा रु. 5000 की धरोहर राशि जमा करना होगा। सफल निविदाकर्ता को रु. 50000 की प्रतिभूति राशि (EMD) ''लेखानियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर'' के नाम से जमा करना होगा।

निविदायें कुलसचिव कार्यालय में दिनांक 30.09.2025 को सायं 05:00 बजे तक स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/कोरियर द्वारा ''**कुलसचिव, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, राजा पंचम सिंह मार्ग, आकाशवाणी के पास, ग्वालियर (म.प्र.) 474002**'' पर प्रेषित की जा सकती है। इसके पश्चात प्राप्त निविदाओं, अपूर्ण निविदाओं तथा बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अंतिम समय तक प्राप्त निविदाओं का परीक्षण (टैक्नीकल बिड) दिनांक 01/10/2025 को दोपहर 12:00 बजे किया जावेगा। टैक्नीकल बिड में पात्र निविदाओं की फाइनेंशियल बिड दिनांक 01/10/2025 दोपहर 03:00 बजे खोली जायेगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा। उक्त समय में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाइट www.rvskvv.net पर दी जायगी।

कुलसचिव

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

वि. वि. हेतु मासिक तथा दैनिक किराये के वाहन हेतु निविदा की शर्ते

1. किराये पर दिये जाने वाले वाहन का मॉडल 01.01.2024 के पूर्व का नही होना चाहिए।
2. वाहन आवंटित अधिकारी के निवास स्थान पर रखा जावेगा तथा माइलोमीटर रीडिग की गणना इसी अनुसार निवास स्थान से की जावेगी।
3. मासिक किराये के वाहन मे पेट्रोल/डीजल का प्रदाय एवं वाहन के संधारण पर होने वाला व्यय, बैटरी, वाहन की मरम्मत, टॉयर, ट्यूब एवं पंचर आदि का दायित्व का वहन वाहन प्रदायकर्ता को करना होगा एवं आकस्मिक दशा में आवश्यकता होने पर अन्य वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
4. यदि वाहन को रेगुलर सर्विस/मरम्मत आदि मे भेजा जाता है तो वाहन प्रदायकर्ता को अन्य वाहन की व्यवस्था पहले करनी होगी।
5. वाहन चालक, वाहन उपयोग कर्ता अधिकारी के आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से करेगा।
6. वाहन का वातानुकूलित तथा सेल्फ स्टार्ट होना एवं त्रुटि रहित होना अनिवार्य होगा। वाहन की कन्डीशन उत्तम होना चाहिये तथा निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिये। वाहन के वैध पंजीयन के साथ–साथ फिटनेस एवं प्रदूषण नियंत्रण के वैध प्रमाणपत्र भी वाहन के साथ उपलब्ध कराये जाना आवश्यक है।
7. वाहन चालक निर्धारित यूनिफार्म मे होना चाहिए एवं वाहन चालक के पास वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा होना चाहिये। वाहन चालक को कोई अतिरिक्त भत्ता देय नही होगा।
8. वाहन चालक, वाहन के आवश्यक दस्तावेज बीमा, रजिस्ट्रेशन, टैक्स पेड प्रमाण पत्र आदि हमेशा वाहन मे रखेगे। आवश्यक दस्तावेज न रखने पर यातायात पुलिस द्वारा अधिरोपित चालान की राशि का भुगतान निविदाकर्ता/सेवा प्रदाता (Service Provder) द्वारा किया जाएगा।
9. किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये वाहन चालक/वाहन का स्वामी उत्तरदायी होगे एवं मरम्मत आदि समस्त व्यय वहन करने के साथ ही किसी प्रकार का विवाद होने अथवा न्यायालय मे प्रकरण जाने पर उसका निपटारा उन्हे स्वयं करना होगा। संस्थान का इस संबंध मे कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
10. किसी यात्रा के दौरान वाहन 01 घंटे से अधिक खराब रहने की स्थिति मे अधिकारी द्वारा अन्य वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था पर किया गया व्यय या उस दिन का वाहन का किराया जो भी अधिक हो संबधित वाहन के मासिक किराया देयक से काटा जावेगा ।
11. सामान्यतः वाहन की मांग एक दिन पूर्व सूचित की जावेगी किंतु अपरिहार्य परिस्थितियो मे वाहन तत्काल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

12. वाहन चालक, वाहन की लॉगबुक संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर करवायेगा।
13. माइलोमीटर की गडबडी या अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाए जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग की निर्धारित/ न्यूनतम दूरी ही मान्य होगी।
14. वाहन के मासिक उपयोग पर कोई बंधन नही रहेगा।
15. वाहन प्रदायकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्ति एवं अनुबंध हस्ताक्षरित होने के तीन दिन के अंदर वांछित वाहन प्रदाय करना होगा। वाहन की कन्डीशन ठीक न पाये जाने पर दूसरा वाहन भेजना होगा।
16. वाहन आवश्यकता के अनुसार प्रदेश मे कही भी भेजे जा सकेगे।
17. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दरें मान्य होने की दिनांक से सात दिवस मे निविदाकर्ता प्रतिभूति की राशि रू 50000 जमा कर अनुबंध करेगा। अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी। अनुबंध अधिकतम तीन वर्ष तक द्विपक्षीय सहमति पर बढाया जा सकेगा ।
18. ग्वालियर से बाहर भ्रमण की स्थिति मे टोल टैक्स आदि की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर मासिक देयक के साथ उसका भुगतान किया जावेगा ।
19. न्यूनतम दर वाली फर्म द्वारा निर्धारित अवधि मे अनुबंध नही करने पर जमा धरोहर राशि रु. 5000 राजसात कर ली जाएगी तथा एल–2 से अनुबंध कर लिया जायेगा।
20. निविदाकर्ता देयक मे जीएसटी की राशि जोड़कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगा।
21. आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तो को घटाया या जोड़ा जाएगा, जो वाहन प्रदायकर्ता फर्म को मान्य करना पडेगा ।
22. सफल निविदाकार के साथ राशि रू 500/– नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक अनुबंध करना होगा जिसमे सफल निविदाकार को ठेकेदार के रूप मे संबोधित किया जावेगा ।
23. वाहन चालक का ठेकेदार द्वारा पुलिस सत्यापन का प्रमाण पत्र निविदाकार द्वारा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
24. वाहन का पंजीयन टैक्सी/व्यावसायिक कोटे में ही होना चहिये।

25. निविदा एवं अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप यदि संस्थान को तत्काल आवश्यकता की पूर्ति हेतु वाहन मार्केट से किराये पर लेना पड़ा तो मार्केट से लिये वाहन पर अधिक देय राशि के बरावर राशि निविदाकर्ता की धरोहर राशि/मासिक देयक से काटी जायेगी।

26. सफल निविदाकर्ता को कोई भुगतान एडवांस में नही किया जायेगा। संबंधित वाहन प्रदायकर्ता प्रत्येक वाहन का प्रत्येक माह का देयक उस माह के प्रथम सप्ताह में मय लॉगबुक की प्रति के साथ संस्थान में प्रस्तुत करेंगे। प्राप्त देयक का भुगतान निविदा एवं अनुबंध की शर्तों के परीक्षण के पश्चात किया जायेगा।

27. यदि दो या अधिक निविदाकर्ताओं से समान न्यूनतम दरें प्राप्त होती है तो विश्वविद्यालय को किसी भी एक या आवश्यकतानुसार सभी निविदाकर्ताओं से वाहन प्राप्त करने का अधिकार होगा।

28. वाहन हेतु निविदा को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय को होगा। वाहन प्रदायकर्ता द्वारा शर्तों का पालन न करने अथवा वाहन की आवश्यकता न होने की दशा में निविदा/कार्यादेश को किसी भी समय निरस्त कर दिया जावेगा।

29. निविदा फार्म प्राप्त करने के पश्चात फर्म/एज़ेंसी कार्य स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

30. निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाइट www.rvskvv.net पर दी जायेगी।

31. अनुबंध की किसी शर्त के उल्लंघन अथवा विवाद की स्थिति मे प्रथमतः आपसी चर्चा एवं विचार विमर्श से विवाद हल किया जावेगा, किन्तु हल नही निकलता तो न्यायालयीन कार्यवाही की स्थिति मे न्यायालयीन क्षेत्राधिकार माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ–ग्वालियर रहेगा।

कुलसचिव

किराये के वाहन हेतु निविदा प्रपत्र

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (टेक्निकल बिड)

तकनीकी प्रपत्र भाग—1

एक बड़े लिफाफे में रखा जावे जिसके साथ वित्तीय प्रपत्र 2 वाला लिफाफा भी रखा जावे।

निविदा के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न कर प्रत्येक पर फर्म के प्रोपराइटर/ऑनर द्वारा सील सहित हस्ताक्षर किए जाएं।

निविदा प्रपत्र (संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची)

1. फर्म का रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस
2. फर्म के लैटर पैड पर ऑनरशिप प्रमाण पत्र
3. फर्म का जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र
4. विगत वर्ष में किए गए जीएसटी रिटर्न का प्रमाण पत्र
5. फर्म के प्रोपराइटर/ऑनर का पैनकार्ड/आधार कार्ड
6. फर्म के गत 03 वर्ष का आयकर रिटर्न

दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर
प्रोपराइटर

किराये के वाहन हेतु निविदा प्रपत्र (दैनिक दर प्रपत्र)
वित्तीय प्रपत्र (फाइनेंशियल बिड) भाग–2 (अ)
अलग से छोटे लिफाफे में बंद करके बड़े लिफाफे में रखा जावे

फर्म का नाम–..

प्रोपराइटर का नाम एवं संपर्क–...

पता–...

मैं निम्नानुसार मासिक किराये/ दरों पर विश्वविद्यालय की शर्तों के अनुसार वाहन उपलब्ध कराने हेतु अपनी स्वीकृति देता हूं।

ईंधन एवं ड्रायवर सहित वाहन हेतु प्रस्तावित मासिक दरें (समस्त कर सहित)

क्र.	विवरण	मारुति स्विफ्ट/ बलेनो/अल्टो/ टाटा पंच/ टिआगो/ हुंडई औरा आदि	इलेक्ट्रिक टाटा टिआगो/ पंच आदि	मारुति एसप्रेसो/ डिजायर/ बोलेरो नियो/ हुंडई आई10/वेन्यु/ टाटा टिआगो आदि	इलेक्ट्रिक टाटा नेक्सन/ महिन्द्रा एक्सयूवी 400 आदि	जीप/ बोलेरो	इनोवा क्रिस्टा
1	मुख्यालय स्तर पर अधिकतम 800 किमी प्रतिमाह (रू)						
2	800 किमी से ऊपर अतिरिक्त दरें (रू प्रति किमी)						
3	अन्य व्यय (यदि हो तो)						

दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर एवं सील
प्रोपराइटर

किराये के वाहन हेतु निविदा प्रपत्र (दैनिक दर प्रपत्र)
वित्तीय प्रपत्र (फाइनेंशियल बिड) भाग–2 (ब)
अलग से छोटे लिफाफे में वित्तीय प्रपत्र (फाइनेंशियल बिड) भाग–2 (अ) के साथ बंद करके बड़े लिफाफे में रखा जावे

फर्म का नाम–...

प्रोपराइटर का नाम एवं संपर्क–...

पता–..

मैं निम्नानुसार दैनिक किराये/ दरों पर विश्वविद्यालय की शर्तों के अनुसार वाहन उपलब्ध कराने हेतु अपनी स्वीकृति देता हूं।

ईंधन एवं ड्रायवर सहित वाहन हेतु प्रस्तावित मासिक दरें (समस्त कर सहित)

क्र.	विवरण	मारुति स्विफ्ट/ बलेनो/अल्टो/ टाटा पंच/ टिआगो/ हुंडई औरा आदि	मारुति एसप्रेसो/ डिजायर/ हुंडई आई10/वेन्यु/ टाटा टिआगो आदि	जीप/ बोलेरो	इनोवा क्रिस्टा
1	न्यूनतम 100 किमी प्रति दिन हेतु राशि (रू)				
2	अन्य व्यय (यदि हो तो)				

नोटः 100 किमी से अधिक गाड़ी चलने पर प्रस्तावित राशि के आधार पर प्रति किमी की दरें मान्य की जावेगी।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर एवं सील

प्रोपराइटर